

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 283/2025

महिपाल सिंह पुत्र श्री सांवरमल, पेशी खेती, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं
(राज.)

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज.)

—रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 18.08.2025
न्यायालय तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महिपाल अन्तर्गत
धारा 91 एल०आर० एक्ट मु०नं० 138/2025

उपस्थित :-

1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौड़जी के आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलान्त के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 18.05.2024 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नं० 973 रकबा 0.12 है० व खसरा नं० 864 रकबा 4.47 है० किस्म बंजड़ में से 1.32 है० वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड से अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व 375 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया था जिसके विरुद्ध में अपीलान्त ये अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु०नं० 36/2025 दर्ज हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्त गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई। जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फिया


जिला कलक्टर झुंझुनूं

साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्त की गैर मौजूदगी में अपीलान्त को सुने बिना दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नं0 से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है उक्त आराजीयात खसरा नं0 973 रकबा 0.12 है0 व खसरा नं0 864 रकबा 4.47 है0 किस्म बंजड़ द्वितीय हे जिन पर अपीलान्त का कदीमी व पुराना रास्ता है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्त किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी योग्य अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भ उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्कीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में योग्य अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महिपाल किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु0नं0 138/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजीयात का नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उक्त प्रकरण पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु0नं0 36/2025 दर्ज हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्त गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई। जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त


जिला कलक्टर झुंझुनूं


उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्ट की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 18.08.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नं० से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख अपने निर्णय के अंतिम पैरा में नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है उक्त आराजीयात खसरा नं० 973 रकबा 0.12 है० व खसरा नं० 864 रकबा 4.47 है० किस्म बंजड़ द्वितीय हे जिन पर अपीलान्ट का कदीमी व पुराना रास्ता है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्ट के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैरसायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनू की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी योग्य अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने भ उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में योग्य अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महिपाल किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु०नं० 138/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजीयात का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 4.47 हैक्टर किस्म बंजड़ 2 में से 1.32 हैक्टर भूमि पर फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन बंजड़-2 की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 4.47 हैक्टर किस्म बंजड़ 2 में से 1.32 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर मैरिट पर निर्णय किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। हम अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलेक्टर, झुझुनू